Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding inclusion of all the farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Churu Parliamentary Constituency, Rajasthan -laid.

श्री राहुल कस्वां (चुरू): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशानुसार बीमित किसानों का सम्पूर्ण डाटा पोर्टल पर चढाया जाना आवश्यक है, उनको ही बीमा क्लेम देय है जिनका डाटा पोर्टल पर चढा हो, जिनका डाटा पोर्टल पर गलत रूप से अपलोड किये गये या किये ही नहीं गये, ऐसे किसान बीमा क्लेम से वंचित हो गये है, वंचित किसानों का भुगतान पीएमएफबीवाई के दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 17-2 के अनुसार संबंधित बैंक ही जिम्मेदार होगा । ऐसे वंचित किसानों के दावों का संबंधित बैंक भुगतान नहीं कर रहे है व चूरू संसदीय क्षेत्र में वर्ष 2017 से 2020 तक उक्त केटेगिरी के काफी किसानों को फसल बीमा क्लेम नहीं मिला है ।

मेरा निवेदन है कि बैंकों की गलती से वंचित किसानों का भुगतान संबंधित बैंक करें, क्लेम से वंचित किसानों की सूचना कारण सहित दी जावें व संशोधन के लिए पोर्टल खोला जाए, इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करावें ।